सरताज खान / सुशीला देवी

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जजच 2015/00078	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-8-19	पत्रावली पेश हुई। अधि० अपी० उप०। गतादेशानुसार पालना की जाकर पत्रावली दिनांक 19.9.19 को पेश हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	
05-9-19	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली में बहस हेतु दिनांक 19.09.2019 नियत है। अपीलार्थी अभिभाषक श्री एन0एस0 राजावत उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 एवं प्रत्यर्थी संख्या 10 के अधिवक्ता अनुपस्थित। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.08.2019 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर अपीलार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को ही कमोबेस अपनी बहस मे दोहराते हुऐ निवेदन किया गया कि अपील में पक्षकारान के मध्य परिवार एवं समाज के मौतविरान व्यक्तियों की समझाईश से आपसी सहमति होकर लोक अदालत की भावना के तहत न्यायालय के बाहर राजीनामा हो चुका है। इस कारण अपीलांट अपील के तहत अग्रिम किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहता हैं। अतः इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार किया जाकर अपील को इसी स्तर पर प्रत्याहरण (विड्रो) किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र पर सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पक्षकारो के मध्य आपसी राजीनामा पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से अपीलार्थी अभिभाषक से राजीनामे की प्रति चाही गई जिसे उपलब्ध कराने मे उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामें के आधार पर अपील को प्रत्याहरित किये जाने दिनांकित 28.08.2019 स्वीकार योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पुनःश्च – इस पर अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा "अपील चलाना नहीं चाहते है। इस कारण नोट प्रेस (Not Press) की जाती हैं" का निवेदन किया गया। अपीलार्थी की अपील को अपीलार्थी अभिभाषक की प्रार्थना पर नोट प्रेस (Not Press) के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त, अजमेर	अपील चलाना नहीं चाहते हैं इस कारण Note Press की जाती है। Sartaj Khan 5/9/19 Identified A. Rajawat 5/9/19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 13:42:24 IST
Reason: SelfAttested